

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार महोदय,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, फरीद कोर्ट हाउस,
इण्डिया गेट के पास, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

पत्रांक - 251/140525/क्षे0 प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय/20

दिनांक-16.01.2021

विषय:- माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0-525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य
बनाम स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.07.2020 के
अनुपालन में आख्या का प्रेषण।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा जनपद- महोबा में छः अवैध रूप से स्थापित/संचालित सओन कशरों के सम्बन्ध में दिनांक 27.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक एवं ऐक्शन टेकन रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके प्रमुख अंश निम्नवत् है-

" The matter was last considered on 18.12.2019 in the light of report filed on 22.10.2019 by the joint committee, acknowledging violation of environmental norms. The Tribunal directed that compensation for such violation be recovered on 'Polluter Pays' principal after following due procedure of law.


Accordingly, reports have been filed by the state PCB that compensation has been assessed in respect of six individual polluting units. The applicants have filled objections to the quantum of compensation by submitting that the period covered is insignificant to the period of violation.

We are of the view that the matter needs to be looked into by a joint Committee comprising the CPCB, State PCB and the District Magistrate] Mahoba. U.P and a report filed before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF. The joint committee may give its report revising the quantum of compensation. If it is so called for, considering the view point of the parties. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The applicants are at liberty to file their representation before the committee within two weeks from today."

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त पारित आदेश के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच52475/सी-2/एन0जी0टी0-सेल-42/2020 दिनांक 01.09.2020 को सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली व जिलाधिकारी महोदय, महोबा को पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें अधोहस्ताक्षरी को राज्य बोर्ड द्वारा अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित सदस्य श्री राजेन्द्र डी0 पाटिल साइंटिस-डी, रीजनल डायरेक्ट्रेट, जोनल ऑफिस लखनऊ नामित है, तथा जिलाधिकारी महोदय, महोबा के द्वारा उक्त छः उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पुनः अधिरोपित की गणना की गई है। उक्त सभी छः उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गणना एवं अनुपालन आख्या संयुक्त हस्ताक्षर के साथ कृत कार्यवाही हेतु आख्या सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय


(घनश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद- बौदा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-2)/मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

**Joint Committee Report in reference to Hon'ble NGT order in the
matter of OA No 525/2019**

1. Hon'ble NGT vide its order dated 27.07.2020, in the matter of OA No 525/2019, constituted a joint Committee comprising representatives of CPCB, State PCB and the District Magistrate, Mahoba. U.P. for revising the quantum of compensation, if it is so called for, considering the viewpoint of the parties. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

2. The following members are nominated by the concerned departments
 - 2.1. Shri Satyendra Kumar, DM, Mahoba
 - 2.2. Shri Rajendra D Patil, Sci – D, CPCB Regional Directorate, Lucknow
 - 2.3. Shri Ghanshyam, Regional Officer, UPPCB, Banda

3. NGT order is enclosed as **Annexure-01** for ready reference. Its relevant para pertaining to the mandate of the committee is reproduced hereunder as

"3. Accordingly, reports have been filed by the State PCB that compensation has been assessed in respect of six individual polluting units. The applicants have filed objections to the quantum of compensation by submitting that the period covered is insignificant to the period of violation.

4. We are of the view that the matter needs to be looked into by a joint Committee comprising the CPCB, State PCB and the District Magistrate, Mahoba. U.P and a report filed before the next date by e-mail at judicial-



ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The joint Committee may give its report revising the quantum of compensation, if it is so called for, considering the viewpoint of the parties. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The applicants are at liberty to file their representation before the Committee within two weeks from today."

4. The designated joint committee looked into the document and details made available by Regional Officer, UPPCB Banda. The committee was also briefed about the methodology adopted by UPPCB for calculating the environmental compensation. The unit-wise details of the following six stone crushers in question are given at **Annexure-02**.

4.1. M/s. R. B. Associate, Kali Pahadi, Kabrai, Mahoba

4.2. M/s. Krishna Granite, Kali Pahadi Bilbai, Mahoba

4.3. M/s. Arihant Granite Daharra Mahoba (Ex Name Shubham Gramodhyog Sansthan, Daharra Kabrai)

4.4. M/s. Maa Sharda Granite (Ex Name Pryagraj Granite) Bilbai, Mahoba

4.5. M/s. Jai Maa Gangorti (Ex Name Ravi Granite) Kali Pahadi Mahoba

4.6. M/s. Parash Granite, Bilbai, Mahoba

5. The committee referred orders of Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of OA No. 593/2017 (WP (CIVIL) No. 375/2012, Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India & Ors. In compliance to Hon'ble NGT directives, the formula evolved by CPCB for calculation of Environmental Compensation is as given

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$



Where,

EC is Environmental Compensation in ₹

PI = Pollution Index of industrial sector

N = Number of days of violation took place

R = A factor in Rupees (₹) for EC

S = Factor for scale of operation

LF = Location factor

6. For calculation of environmental compensation, the following factors are considered,

6.1. The stone crushers are categorized under 'Orange Category' by UPPCB and hence the value of Pollution Index (PI) is considered as '50'.

6.2. Similarly, as per UPPCB the stone crushers are identified as 'Small Scale Activity' and hence Factor for scale of operation (S) is considered as '0.5'.

6.3. As the population of nearby city/town is less than one million Location Factor (LF) is presumed as '1.0'.

6.4. As suggested by CPCB the Rupees factor (R) is considered '250' in cases of violation.

6.5. Thus, the Environmental Compensation is ₹ 6,250/- per day for the violation period.

7. For calculating the period of violation, the Committee referred Hon'ble NGT order dated 29.04.2019 in the matter of Original Application No.

116/2014 With Original Application No. 437/2015. The relevant portion of the said order is as reproduced below

"9. The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation."

8. The following factors are considered to calculate the actual days of violation.

8.1. UPPCB has calculated the Environmental Compensation and submitted to Hon'ble NGT in the matter vide its letter dated 09.01.2020 and 14.01.2020.

And hence, for the convenience 31.12.2019 is considered as date of EC calculation.

8.2. These six stone crusher units were visited by joint team comprising of representative from UPPCB, District Mining Inspector and Sub Divisional Magistrate on 04.09.2019. On the day of visit, except M/s Krishna Granite all the stone crushers were found self-closed. In the joint report it is mentioned that proper dust/air pollution control systems were not installed in any of the unit. As all the units were found violating the Norms/guidelines, UPPCB has issued closure Notices on 12.09.2019.



Copy of joint report and Notices issued by UPPCB is attached at Annexure – 03.

8.3. It is also mentioned in the report that all the six units were not submitted compliance/reply of the UPPCB letter dated 23.02.2018 regarding proper installation and operations of dust control systems. The said letters were issued in reference to the public complaints and news articles in the local newspapers. In this letter it was also mentioned that in view of the irregularities and negligence by those units, the closure orders will be issued in case of non-receipt of compliance by 28.02.2018.

Copy of letters dated 23.02.2018 is attached at Annexure – 04.

8.4. Considering the documentary facts mentioned in above two points, it is clear that all these stone crushers were in operation without installing and operating proper air/dust pollution control system since beginning. It is further noted that based on the records available with UPPCB, the period of violation is generally more than 10 years. However, in keeping with Hon'ble NGT order, the period of violation has been restricted to 5 years.

8.5. UPPCB RO Banda office has issued letters to these six stone crushers on 17.12.2020 mentioning Hon'ble NGT matter and asked them to submit the details of the days during which the units were non-operational/ operational along with valid documentary proof. As per



records available with UPPCB, none of the unit submitted the reply till 14.01.2021.

And hence, it is considered that these units were operated throughout the period.

8.6. Except M/s Krishna Granite all the stone crushers were found self-closed on joint inspection dated 04.09.2019. And hence period of violation is considered as 01.01.2015 – 03.09.2019 i.e. 1707 days

In case of M/s Krishna Granite the period is extended up to 30.09.2019 i.e. date of sealing.


UPPCB also reported that M/s Parash Granite operated during 27.09.2019 -24.10.2019 for 28 days after the inspections and hence this period is also added additionally.

8.7. Considering 8.6 the unit wise violation period is as tabulated below

| Sr No | Name of the Stone Crusher | Violation Period | | |
|-------|---------------------------|------------------|------------|------------|
| | | From | Up to | No of days |
| 01 | M/s R. B. Associate | 01.01.2015 | 03.09.2019 | 1707 |
| 02 | M/s. Krishna Granite | 01.01.2015 | 30.09.2019 | 1734 |
| 03 | M/s. Arihant Granite | 01.01.2015 | 03.09.2019 | 1707 |
| 04 | M/s. Maa Sharda Granite | 01.01.2015 | 03.09.2019 | 1707 |
| 05 | M/s. Jai Maa Gangorti | 01.01.2015 | 03.09.2019 | 1707 |
| 06 | M/s. Parash Granite | 01.01.2015 | 03.09.2019 | 1735 |
| | | 27.09.2019 | 24.10.2019 | |

9. Considering the documentary facts made available, the designated Joint Committee revised/ recalculated the quantum of the Environmental Compensation (EC) to be imposed on six stone crushers in question calculated as on 31.12.2019 is as given below,

| Sr No | Name of the Stone Crusher | Violation Period (in days) | Environmental Compensation @ rate ₹ 6,250/- |
|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 01 | M/s R. B. Associate | 1707 | ₹ 1,06,68,750/- |
| 02 | M/s. Krishna Granite | 1734 | ₹ 1,08,37,000/- |
| 03 | M/s. Arihant Granite | 1707 | ₹ 1,06,68,750/- |
| 04 | M/s. Maa Sharda Granite | 1707 | ₹ 1,06,68,750/- |
| 05 | M/s. Jai Maa Gangorti | 1707 | ₹ 1,06,68,750/- |
| 06 | M/s. Parash Granite | 1735 | ₹ 1,08,43,750/- |

| Committee member | Signature |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shri Satyendra Kumar, DM Mahoba, Uttar Pradesh |  15.01.21 |
| Shri Rajendra D Patil, Sci – D CPCB Regional Directorate, Lucknow |  15.01.2021 |
| Shri Ghanshyam, Regional Officer UPPCB, Banda |  15/01/2021 |
| Date: 15.01.2021 | |

← 10/10/20 →

Item No. 07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 525/2019
(With report dated 14.07.2020)

Madan Pal Singh & Ors.

Applicant(s)

Versus

U. P. State Pollution Control Board & Ors.
Et al.

Respondent(s)

Date of hearing: 27.07.2020

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S. P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

Applicant(s): Ms. Seema Patnaha, Advocate

Respondent(s): Mr. Daleep Dhyani, Advocate for UPPCB

ORDER

1. A report was sought from the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP with reference to the allegation of violation of environmental norms by operation of stone crushers by M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.

2. The matter was last considered on 18.12.2019 in the light of report filed on 22.10.2019 by the joint Committee, acknowledging violation of environmental norms. The Tribunal directed that compensation for such violation be recovered on 'Polluter Pays' principle after following due procedure of law.

3. Accordingly, reports have been filed by the State PCB that compensation has been assessed in respect of six individual polluting units. The applicants have filed objections to the quantum of compensation by submitting that the period covered is insignificant to the period of violation.

4. We are of the view that the matter needs to be looked into by a joint Committee comprising the CPCB, State PCB and the District Magistrate, Mahoba. U.P and a report filed before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The joint Committee may give its report revising the quantum of compensation, if it is so called for, considering the viewpoint of the parties. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The applicants are at liberty to file their representation before the Committee within two weeks from today.

A copy of this order be sent to the CPCB, State PCB and the District Magistrate, Mahoba. U.P by email for compliance.

List for further consideration on 19.01.2021.

Adarsh Kumar Goel, CP

S. P. Wangdi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

July 27, 2020
Original Application No. 525/2019

1. M/s Paras Granite:

- NOC obtained on 09.08.2010.
- First consent issued on 30.12.2011 which is valid from 14.10.2011 to 31.12.2012.
- No consent for the period 01.01.2013 to 24.05.2015.
- UPPCB carried out inspection on 27.05.2015, based on which consent was issued on 24.06.2015 which is valid for 25.05.2015 to 31.12.2015.
- The consent was extended up to 31.12.2019 through letter dated 26.11.2015.
- Joint inspection was carried out on 03.09.2019 and the unit was found non-complying and hence UPPCB issued show cause notice dated 12.09.2019.
- EC calculated for the period of 01.01.2015 to 03.09.2019 (1707 days) and 27.09.2019 to 24.10.2019 (28 days).
- EC calculation
 - $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$
 - $PI = 50, N = 1735, R = 250, S = 0.5 \text{ \& } LF = 1$
 - $EC = 1,08,43,750/-$

2. M/s R B Associate:

- NOC issued on 19.07.2010.
- First consent issued on 04.06.2011, which is valid from 19.04.2011 to 31.12.2011.
- No consent for the period 01.01.2012 to 27.05.2012.
- Second consent issued on 24.06.2012, which is valid from 28.05.2012 to 31.12.2013.
- No consent from 01.01.2014 to 23.05.2015.

- Third consent issued on 27.07.2015 which is valid from 24.05.2015 to 31.12.2019.
- Joint inspection was carried out on 03.09.2019 and the unit was found non-complying and hence UPPCB issued show-cause notice dated 12.09.2019.
- EC calculated for the period of 01.01.2015 to 03.09.2019 (1707 days)
- EC calculation
 - $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$
 - $PI = 50, N = 1707, R = 250, S = 0.5 \text{ \& } LF = 1$
 - $EC = 1,06,68,750/-$

3. M/s Krishna Granite Kaali Pahadi Bilbai Mahoba

- NOC issued on 09.08.2010.
- First consent issued on 27.07.2011, which is valid from 09.06.2011 to 31.12.2011.
- No consent for the period 01.01.2012 to 20.03.2012.
- Second consent issued on 25.05.2012 which is valid from 21.03.2012 to 31.12.2012.
- No consent from 01.01.2013 to 06.08.2013.
- UPPCB carried out inspection on 07.08.2013 based on which consent was issued on 03.09.2012 which is valid from 07.08.2013 to 31.12.2015.
- Since 01.01.2016 does not have any valid consent, UPPCB issued notice on 25.08.2017 as the unit found operating without valid consent.

- Joint inspection was carried out on 03.09.2019 and the unit was found non-complying and operational, hence UPPCB issued show cause notice dated 12.09.2019.
- EC calculated for the period of 01.01.2015 to 30.09.2019 (1734 days)
- EC calculation
 - $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$
 - $PI = 50, N = 1734, R = 250, S = 0.5 \& LF = 1$
 - $EC = 1,08,37,000/-$

4. M/s Arihant Granite (Ex Name Shubham Gramoday Sansthaan)

- NOC issued on 10.07.2006.
- First consent issued on 23.01.2007, which is valid from 12.12.2006 to 31.12.2010.
- No consent for the period 01.01.2011 to 22.06.2011.
- Second consent issued on 30.08.2011 which is valid from 23.06.2011 to 31.12.2011.
- No consent during 01.01.2012 to 10.07.2012.
- Third consent issued on 21.07.2012 which is valid from 11.07.2012 to 31.12.2013.
- No consent during 01.01.2014 to 07.08.2014.
- Fourth consent was issued on 01.10.2014 which is valid from 08.08.2014 to 31.12.2016.
- UPPCB issued consent on 17.06.2017 based on inspection date 18.02.2017 though the validity of the consent was indicated up to 31.12.2018. The initial date is not mentioned in the consent and hence the date of inspection i.e. 18.02.2017 is considered as validity period.

- No consent during the period of 01.01.2017 to 17.02.2017.
- Joint inspection was carried out on 03.09.2019 and the unit was found non-complying and hence UPPCB issued show cause notice dated 12.09.2019.
- EC calculated for the period of 01.01.2015 to 03.09.2019 (1707 days).
- EC calculation
 - $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$
 - $PI = 50, N = 1707, R = 250, S = 0.5 \ \& \ LF = 1$
 - $EC = 1,06,68,750/-$

5. M/s Maa Sharda Granite (Ex Prayagraj Granite)

- NOC issued on 20.03.2012.
- First consent issued on 26.06.2012 which is valid from 14.06.2012 to 31.12.2012.
- No consent for the period 01.01.2013 to 23.03.2015.
- Second consent issued on 08.09.2015 which is valid from 24.03.2015 to 31.12.2016.
- UPPCB issued consent on 05.07.2017 based on inspection date 15.06.2017 through the validity of the consent was indicated up to 31.12.2018. The initial date is not mentioned in the consent and hence the date of inspection i.e. 15.06.2017 is considered as validity period.
- No consent during 01.01.2017 to 14.06.2017.
- Joint inspection was carried out on 03.09.2019 and the unit was found non-complying and hence UPPCB issued show cause notice dated 12.09.2019.

- EC calculated for the period of 01.01.2015 to 03.09.2019 (1707 days).
- EC calculation =
 - $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$
 - $PI = 50, N = 1707, R = 250, S = 0.5 \ \& \ LF = 1$
 - $EC = 1,06,68,750/-$

6. M/s Jai Maa Gangotri (Ex name Ravi Granite)

- First consent issued on 13.06.2012, which is valid from 01.05.2012 to 31.12.2012.
- Second consent issued on 08.01.2013 which is valid from 01.01.2013 to 31.12.2013.
- Third consent issued on 13.02.2014 which is valid from 01.01.2014 to 31.12.2016.
- Fourth consent issued on 10.03.2017 which is valid from 14.03.2017 to 31.12.2018.
- No consent for the period of 01.01.2017 to 13.03.2017.
- Joint inspection was carried out on 03.09.2019 and the unit was found non-complying and hence UPPCB issued show cause notice dated 12.09.2019.
- EC calculated for the period of 01.01.2015 to 03.09.2019 (1707 days.)
- EC calculation
 - $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$
 - $PI = 50, N = 1707, R = 250, S = 0.5 \ \& \ LF = 1$
 - $EC = 1,06,68,750/-$

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा (उ०प्र०)

पत्रांक : 638/राष्ट्रीय हरित /ओ०प्र० सं० 525/19/19 दिनांक: 03/9/19
कार्यालय ज्ञाप

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०प्र० संख्या-525/2019 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 जिसके द्वारा आदेशित किया गया है कि-

1. Allegation in this application is that illegal stone crusher units are being run near the agricultural land of the applicant in violation of environmental norms by Respondent Nos. 6 to 11 – M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.


2. Let a factual and action taken report be furnished in the matter by the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. 2 A copy of this order be sent each to the UPSPCB and the District Magistrate, Mahoba, UP by e-mail for compliance.

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालनात्मक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्राधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया जाता है।

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. उपजिलाधिकारी, महोबा | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस क्षेत्राधिकारी, महोबा | सदस्य |
| 3. जिला खान अधिकारी, महोबा | सदस्य |
| 4. डॉ माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा | सदस्य |

उपरोक्तानुसार गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा आज दिनांक 03.09.2019 को स्थल निरीक्षण सुनिश्चित कर गुण दोष आधारित संस्तुति सम्बन्धित आख्यायें कल दिनांक 04.09.2019 दोपहर 12.00 बजे तक अवलोकित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि आख्यायें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

भवदीय



(अवधेश कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी
महोबा

पृष्ठांकन सं०:

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक :

1. पुलिस अधीक्षक, महोबा।
2. उपजिलाधिकारी, महोबा।
3. गठित समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ कि संयुक्त निरीक्षण समिति की आख्या के तथ्यों से सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को दिनांक 05.09.2019 तक आख्यायें प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी
महोबा



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा
 34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
 चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या 664/मा०रा० हरित अधि-525/महोबा

दिनांक: 04-09-2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019
 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश
 दिनांक 31.05.2019 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित
 ओ०ए०सं०-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति प्राधिकारियों द्वारा
 आदेश में आच्छादित स्टोन क्वार्स का निरीक्षण दिनांक 04.09.2019 में किया गया। संयुक्त निरीक्षण
 आख्यायें कुल-06 मूल रूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(निरंजन शर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी 04/09/19

Joint Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs

P. Pollution Control Board and others)

M/s R.B. Associate Bilbai, Kali Pahadi, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Shri Premnarayan (Watchman) was present. Inspection report is as under-

1. M/s R.B. Associate Bilbai, Kali Pahadi Kabrai District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder.
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed). Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as below.

| S.N. | Dust Air Pollution Control System | Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System | Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 | Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. | Not Installed | Consent (Air) Permitted upto 31.12.2019 by the date of 27.07.2015. Industry has not submitted the compliance of letter No. 1687/ Notice/2017 Dated 23.02.2018 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system | Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 |
| 2 | Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'. | Not Installed | | |
| 3 | A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher. | Not Installed | | |
| 4 | Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure. | Not Installed | | |
| 5 | Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher. | Partial | | |

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda

Joint Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs U.P. Pollution Control Board and others)

M/s Paras Granite Bilbai, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Shri Santosh is present. Inspection report is as under-


1. M/s Paras Granite Bilbai, Kabrai District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder .
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed). Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as bellow.

| S.N. | Dust Air Pollution Control System | Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System | Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 | Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. | Not Installed | Consent (Air) Permitted upto 31.12.2019 by the date of 26.11.2015 . Industry has not submitted the compliance of letter No. 1690/ Notice/2017 Dated 23.02.2018 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system | Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 |
| 2 | Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'. | Not Installed | | |
| 3 | A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher. | Not Installed | | |
| 4 | Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure. | Not Installed | | |
| 5 | Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher. | Partial | | |

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda

Joint Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs U.P. Pollution Control Board and others)


M/s Krishna Granite Kali Pahadi, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Shri Sumit Rajpoot (Munsi) was present. Inspection report is as under-


1. M/s Krishna Granite, Kali Pahadi, Kabrai District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder.
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found operational. Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as bellow.

| S.N. | Dust Air Pollution Control System | Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System | Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 | Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. | Partial | Consent (Air) Permitted upto 31.12.2015 by the date of 03.09.2013. Industry has not submitted the compliance of letter No. 1269/ Notice/2017 Dated 07.10.2017 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system. | Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 |
| 2 | Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'. | Not Installed | | |
| 3 | A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher. | Not Installed | | |
| 4 | Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure. | Not Installed | | |
| 5 | Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher. | Partial | | |

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda

Joint Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs U.P. Pollution Control Board and others)

M/s Arrihant Granite(Old name M/s Shubham Granite) Daharra Kabrai, District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Shri Veerendra Kumar (Watchman) was present . Inspection report is as under-

1. M/s Arrihant Granite(Old name M/s Shubham Granite) Daharra Kabrai, District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder .
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed). Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as bellow.


| S.N. | Dust Air Pollution Control System | Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System | Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 | Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. | Not Installed | Consent (Air) Permitted upto 31.12.2018 by the date of 17.06.2017 . Industry has not submitted the compliance of letter No. 1686/ Notice/2017 Dated 23.02.2018 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system. | Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 |
| 2 | Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'. | Not Installed | | |
| 3 | A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher. | Not Installed | | |
| 4 | Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure. | Not Installed | | |
| 5 | Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher. | Not Installed | | |

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh.

The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda

Joint Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs P. Pollution Control Board and others)

M/s Maa Sharda Granite (Previous name M/s Prayagraj Granite) Bilbai, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative is not present. Inspection report is as under-

1. M/s Maa Sharda Granite Bilbai, Kabrai District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder .
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed). Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as bellow.


| S.N. | Dust Air Pollution Control System | Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System | Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 | Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. | Not Installed | Consent (Air) Permitted upto 31.12.2018 by the date of 05.07.2017 . Industry has not submitted the compliance of letter No. 1688/ Notice/2017 Dated 23.02.2018 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system. | Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981. |
| 2 | Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'. | Not Installed | | |
| 3 | A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher. | Not Installed | | |
| 4 | Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure. | Not Installed | | |
| 5 | Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher. | Not Installed | | |

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda

Joint Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs U.P. Pollution Control Board and others)


M/s Jai Maa Gangotry Granite (Old Name M/s Ravi Granite) Kali Pahadi, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Shri Mukesh (Munsi) was present. Inspection report is as under-


1. M/s Jai Maa Gangotry Granite (Old Name M/s Ravi Granite) Kali Pahadi District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder.
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed).. Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as below.

| S.N. | Dust Air Pollution Control System | Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System | Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 | Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. | Not Installed | Consent (Air) Permitted upto 31.12.2018 by the date of 14.03.2017. Industry has not submitted the compliance of letter No. 835/ Notice/2017 Dated 16.08.2017 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system. | Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981 |
| 2 | Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'. | Not Installed | | |
| 3 | A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher. | Not Installed | | |
| 4 | Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure. | Not Installed | | |
| 5 | Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher. | Partial | | |

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी० 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

1020 एवान अधिकारी /RO
बोर्ड
ADM(FIR)
14/9/19

संदर्भ संख्या 14/23

/सी-2/क० ब० नोटिस/वायु-84/2019

पंजीकृत
दिनांक-13/9/19

अनुपालन
28/9/19

सेवा में,

मैसर्स आर०वी० एसोसिएट्स,
विलवाई, काली पहाड़ी, कवरई,
महोवा।

यह कि मैसर्स आर०वी० एसोसिएट्स, विलवाई, काली पहाड़ी, कवरई, महोवा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 525/2019 मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित/ओ०ए० संख्या-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा स्टोन कशर इकाइयों के निरीक्षण हेतु संयुक्त सगिति का गठन किया गया। जिलाधिकारी, महोवा के पत्रांक 672/स्टोन कशर महोवा-एनजीटी ओए 525/19 दिनांक 05.09.19 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन कशर इकाई का निरीक्षण दिनांक 03.09.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग स्वयं के कारणों से उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं के संचालन से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण रूप से डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन नहीं पाया गया। इकाई द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत निर्गत सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए सपठित धारा-21(4) के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मैसर्स आर०वी० एसोसिएट्स, विलवाई, काली पहाड़ी, कवरई, महोवा की संचालन प्रक्रिया को तात्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2015 द्वारा निर्गत सहमति आदेश (वायु) को रिवोक कर दिया जाये।
3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

ADM(FIR)/खान अधिकारी/RO बोदा

कृ० अनुपालन सुनिश्चित करायें

13-9-19

LAK

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
...../2-

194
13-9-19



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 44/226 /सी-2/बंदी आदेश/वायु-493/2019

सेवा में,

मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट,
काली पहाड़ी, कबरई,
महोबा।

यह कि मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाड़ी, कबरई, महोबा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित/ओ0ए0 संख्या-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा स्टोन कशर इकाइयों के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया। जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 672/स्टोन कशर महोबा-एनजीटी ओए 525/19 दिनांक 05.09.19 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्यानानुसार आपकी स्टोन कशर इकाई का निरीक्षण दिनांक 03.09.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत बिना पूर्व सहमति प्राप्त किये संचालित पाया गया तथा उद्योग में स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं के संचालन से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण रूप से डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन नहीं पाया गया। इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत संचालन हेतु बोर्ड से वैद्य सहमति प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाड़ी, कबरई, महोबा में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-2)

...../2-

AS 12

21/11/19

5164
20/9/19

प्रलादिप
28/11/19

जिलाधिकारी

महोबा

पंजीकृत
दिनांक

(2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. ✓ जिलाधिकारी, महोबा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोबा को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
3. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, महोबा को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, महोबा को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा को उद्योग को जारी बंदी निर्देश के अनुपालन में विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(धृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी० 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

44/228

/सी-2/बंदी निर्देश/वायु-511/2019

पंजीकृत
दिनांक

12/9/19

सेवा में,

मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट,
पूर्व नाम-मैसर्स शुभम ग्रेनाइट
डहरा, कबरई,
महोबा।

यह कि मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट (पूर्व नाम-मैसर्स शुभम ग्रेनाइट), डहरा, कबरई, महोबा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन क्वेशर इकाई है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 525/2019 मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित/ओ०ए० संख्या-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा स्टोन क्वेशर इकाइयों के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया। जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 672/स्टोन क्वेशर महोबा-एनजीटी ओए 525/19 दिनांक 05.09.19 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्यानसार आपकी स्टोन क्वेशर इकाई का निरीक्षण दिनांक 03.09.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग स्वयं के कारणों से उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा स्टोन क्वेशिंग प्रक्रियाओं के संचालन से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण रूप से डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन नहीं पाया गया। इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत संचालन हेतु बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं है। इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक 06.06.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का प्रतिउत्तर बोर्ड मुख्यालय में अप्राप्त है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी निर्देश जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट (पूर्व नाम-मैसर्स शुभम ग्रेनाइट), डहरा, कबरई, महोबा में संचालन/उत्पादन कार्य यथावत बंद रखा जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

दाता प्रती य नातो
13/9/19

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

(निरंजन शर्मा)


क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा

...../2-

(2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, महोबा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग की बंदी सुनिश्चित रखने हेतु संचालन अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोबा को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
3. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, महोबा को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, महोबा को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा को उद्योग को जारी बंदी निर्देश के अनुपालन में विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी निर्देश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी निर्देशों का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी० 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत
दिनांक

संदर्भ संख्या

14/229 /सी-2/बंदी निर्देश/वायु-166/2019

सेवा में,

मैसर्स मॉ शारदा ग्रेनाइट
पूर्व नाम-मैसर्स प्रयागराज ग्रेनाइट
बिलबाई, कबरई,
महोबा।

यह कि मैसर्स मॉ शारदा ग्रेनाइट (पूर्व नाम-मैसर्स प्रयागराज ग्रेनाइट), बिलबाई, कबरई, महोबा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित-स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 525/2019 मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित/ओ०ए० संख्या-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा स्टोन कशर इकाइयों के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया। जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 672/स्टोन कशर महोबा-एनजीटी ओए 525/19 दिनांक 05.09.19 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्यानसार आपकी स्टोन कशर इकाई का निरीक्षण दिनांक 03.09.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग स्वयं के कारणों से उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं के संचालन से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण रूप से डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन नहीं पाया गया। इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत संचालन हेतु बोर्ड से वैद्य सहमति प्राप्त नहीं है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी निर्देश जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि मैसर्स मॉ शारदा ग्रेनाइट (पूर्व नाम-मैसर्स प्रयागराज ग्रेनाइट), बिलबाई, कबरई, महोबा में संचालन/उत्पादन कार्य यथावत बंद रखा जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

(निरंजन शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा

प्राप्त किया

16/9/19


7704019883

13/9

(2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, महोबा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग की बंदी सुनिश्चित रखने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोबा को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
3. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, महोबा को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, महोबा को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा को उद्योग को जारी बंदी निर्देश के अनुपालन में विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी निर्देश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्त तथा उद्योग को जारी बंदी निर्देशों का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

/सी-2/बंदी निर्देश/वायु-453/2019

पंजीकृत

दिनांक

सेवा में,

मैसर्स जय मॉ गंगोत्री ग्रेनाइट
पूर्व नाम—मैसर्स रवि ग्रेनाइट
काली पहाड़ी, कबरई,
महोबा।

यह कि मैसर्स जय मॉ गंगोत्री ग्रेनाइट (पूर्व नाम—मैसर्स रवि ग्रेनाइट), काली पहाड़ी, कबरई, महोबा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित/ओ0ए0 संख्या-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा स्टोन कशर इकाइयों के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया। जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 672/स्टोन कशर महोबा—एनजीटी ओए 525/19 दिनांक 05.09.19 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन कशर इकाई का निरीक्षण दिनांक 03.09.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग स्वयं के कारणों से उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं के संचालन से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण रूप से डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन नहीं पाया गया। इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत संचालन हेतु बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी निर्देश जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि मैसर्स जय मॉ गंगोत्री ग्रेनाइट (पूर्व नाम—मैसर्स रवि ग्रेनाइट), काली पहाड़ी, कबरई, महोबा में संचालन/उत्पादन कार्य यथावत बंद रखा जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

प्राप्त नाम

जारी

14/09/19

8081474137

(निरंजन शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा

13/9/19

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

...../2-

(2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, महोबा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग की बंदी सुनिश्चित रखने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोबा को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
3. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, महोबा को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, महोबा को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा को उद्योग को जारी बंदी निर्देश के अनुपालन में विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी निर्देश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी निर्देशों का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

1019

होम...
कृ. आ. कार. 93



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0रशी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोगती नगर, लखनऊ

ADM(F/R)
16/9/19

प्राप्तिका
28/9/19

संदर्भ संख्या
41230

/ रशी-2/ क0 न0 नोटिस/ वायु-209/2019

पंजीकृत
दिनांक- 12/9/19

सेवा में,

मैसर्स पारस ग्रेनाइट,
विलवाई, कवरई,
महोवा।

यह कि मैसर्स पारस ग्रेनाइट, विलवाई, कवरई, महोवा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन फ्रिट क उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित/ओ0ए0 संख्या-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा स्टोन कशर इकाइयों के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया। जिलाधिकारी, महोवा के पत्रांक 672/स्टोन कशर महोवा-एनजीटी ओए 525/19 दिनांक 05.09.19 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन कशर इकाई का निरीक्षण दिनांक 03.09.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग स्वयं के कारणों से आपकी स्टोन कशर इकाई का निरीक्षण दिनांक 03.09.2019 को माध्यम से प्राप्त संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्यानुसार उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं के संचालन से उत्पन्न डस्ट पुनर्जनन के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण रूप से डस्ट उत्तर्जन नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन नहीं पाया गया। इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21 के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र दिनांक 24.06.15 द्वारा निर्गत सहमति आदेश, जिसकी वैधता अवधि में बोर्ड के पत्र दिनांक 26.11.15 द्वारा विस्तार किया गया है, की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए सपठित धारा-21(4) के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मैसर्स पारस ग्रेनाइट, विलवाई, कवरई, महोवा की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक 24.06.15 द्वारा निर्गत सहमति आदेश (वायु) को रिवोक कर दिया जाये।
3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

ADM(F/R)/स्थान अधिकारी/RO बांदा

ह0 अनुपालन सुनिश्चित कराये।

जिलाधिकारी
महोवा (उ0प्र0)
13-9-19

LMK

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
...../2-

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

13/9/19



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा

दूरभाष-05192220048

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39, Avas Vikas Colony, Banda-210001

सदर संख्या 1687/नोटिस/2018

दिनांक : 23.2.18

सेवा में,

पंजीकृत डांक द्वारा

अति महत्वपूर्ण

मेसर्स आर०बी० एस०सि०ए०,
बिलबई, काली पहाड़ी, कबरई,
जनपद-महोबा।

विषय : स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा संचालित स्टोन बोल्टर की कशिंग प्रक्रिया से डस्ट उत्सर्जन के कारण परिसर के सन्निकट एवं निकटवर्ती क्षेत्र पब्लिक न्यूसेंस की समस्या विद्यमान होना पाया जाता रहा है। इसके समाधान एवं निवारण हेतु दिनांक 21.07.2017 को अमर समाचार समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित हो चुकी है, जो आपकी पूर्ण जानकारी में है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु निम्न गाईडलाइन जारी की गयी है:-

- Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyers. All opening provided for ventilation in the enclosures should be covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
- Covering of all belt conveyers.
- Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
- A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.
- Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.
- Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.

The above 'equipment specifications' should be primarily and compulsorily enforced on stone crusher. SPM standard as prescribed in Environment (Protection) Act, 1986 must be complied by every individual stone crusher.

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः एक अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु प्रख्यापित व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन दिनांक 28.02.2018 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में आप द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं अनियमितता के दृष्टिगत स्टोन कशिंग प्रक्रिया संचालन के सन्दर्भ में जनहित में तत्काल प्रभाव से बंदी आदेश पारित किये जा सकते हैं तथा गुण दोष के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस पारित किये जाने की कार्यवाही विचारित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्तुति प्रेषित की जायेगी तथा बोर्ड के पत्रांक एफ 65115 एवं एफ 65114 दिनांक 27.07.2015 द्वारा निर्गत सहमति (जल) एवं सहमति (वायु) (Revoke) किये जाने के कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है आप अवगत ही हैं कि दिनांक 15.02.2018 जिलाधिकारी महोदय, महोबा द्वारा डस्ट प्रदूषण नियंत्रण हेतु आहूत की गई बैठक में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण के अभाव में स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं को बाधित किया जाना सम्मिलित है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-महोबा।
2. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य
(निरजम शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी

क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी



दूरभाष-05-30777777
क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉन्दा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39, Avas Vikas Colony, Banda-210001

सदरभ संख्या 1689 / नोटिस / 2018

दिनांक : 23-1-18

पंजीकृत डांक द्वारा
अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

नेसर्स कृष्णा ग्रेनाइट वर्क्स,
कबरई, जनपद-महोबा।

विषय : स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा संचालित स्टोन बोल्टर की कशिंग प्रक्रिया से डस्ट उत्सर्जन के कारण परिसर के सन्निकट एवं निकटवर्ती से पब्लिक न्यूसेंस की समस्या विद्यमान होना पाया जाता रहा है। इसके समाधान एवं निवारण हेतु दिनांक 21.07.2017 को अमर उज्ज्वल समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित हो चुकी है, जो आपकी पूर्ण जानकारी में है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा स. कशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु निम्न गाईडलाइन जारी की गयी है:-

- Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, at the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning a maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. All opening provided for ventilation in the enclosures should be covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
- Covering of all belt conveyers.
- Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' at the reject. 'fine dust'.
- A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.
- Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.
- Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.

The above 'equipment specifications' should be primarily and compulsorily enforced on stone crusher. SPM standard as prescribed in Environment (Protection) Act, 1986 must be complied by every individual stone crusher.

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः एक अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु प्रख्यापित व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन दिनांक 28.02.2018 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में आप द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं अनियमितता के दुष्टिगत स्टोन कशिंग प्रक्रिया संचालन के सदरभ में जनहित में तत्काल प्रभाव से बड़ी आदेश पारित किये जा सकते हैं तथा गुण दोष के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस पारित किये जाने की कार्यवाही विचारित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्तुति प्रेषित की जायेगी तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 450 एवं एफ 451 दिनांक 30.06.2017 द्वारा निर्गत सहमति (जल) एवं सहमति (वायु) (Revoke) किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है आप अवगत ही है कि दिनांक 15.02.2018 जिलाधिकारी महोदय महोबा द्वारा डस्ट प्रदूषण नियंत्रण हेतु आहूत की गई बैठक में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण के अभाव में स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं को बाधित किया जाना सम्मिलित है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-महोबा।
2. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

भूदतीय
(निरजन कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी

क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 30 प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39, Avas Vikas Colony, Banda-210001

संदर्भ संख्या

884/नोडिफ/17

दिनांक : 17-8-17

पंजीकृत डांक द्वारा

अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

नेसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट,
(पूर्व नाम शुभम ग्रेनाइट)
डहरा, कबरई, महोबा।

विषय : स्टोन क्रशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा संचालित स्टोन बोल्टर की क्रशिंग प्रक्रिया से डस्ट उत्सर्जन के कारण परिसर के सन्निकट एवं निकटवर्ती क्षेत्र में पब्लिक न्यूसेंस की समस्या विद्यमान होना पाया जाता रहा है। इसके समाधान एवं निवारण हेतु दिनांक 21.07.2017 को अमर उजाला समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित हो चुकी है, जो आपकी पूर्ण जानकारी में है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा स्टोन क्रशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु निम्नवत् गाईडलाइन जारी की गयी है:-

- Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. All opening provided for ventilation in the enclosures should be covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
- Covering of all belt conveyers.
- Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone-dust' and the reject, 'fine dust'.
- A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.
- Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.
- Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.

The above 'equipment specifications' should be primarily and compulsorily enforced on stone crusher. SPM standard as prescribed in Environment (Protection) Act, 1986 must be complied by every individual stone crusher.

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः एक अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु प्रख्यापित व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन दिनांक 30.08.2017 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में आप द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं अनियमितता के दुष्टिगत स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया संचालन के संदर्भ में जनहित में तत्काल प्रभाव से बंदी आदेश पारित किये जा सकते हैं तथा गुण दोष के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 सशक्त संशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस पारित किये जाने की कार्यवाही विचारित किये जाने हूँ। अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्तुति प्रेषित की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

JK (निरजन्म शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद--महोबा।
2. पर्यावरण अभियन्ता/प्रभारी (यूत्त-2) UOPC प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

JK
क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी



72
क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39, Avas Vikas Colony, Banda-211001

संदर्भ संख्या 1656/ नोटिस/2017

दिनांक

पंजीकृत डांक द्वारा

अति महत्वपूर्ण

सेवा में

मेसर्स अरिहन्त प्रेनाइट
(पूर्व नाम में शुभम प्रेनाइट),
डहरी बिलडई कबरई,
जनपद-महोबा।

विषय : स्टोन क्रशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

आप द्वारा संचालित स्टोन बोल्टर की क्रशिंग प्रक्रिया से डस्ट उत्सर्जन के कारण परिसर के सन्निकट एवं निकटवर्ती क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या घेद्यमान होना पाया जाता रहा है। इसके समाधान एवं निवारण हेतु दिनांक 21.07.2017 को अमर उजाला समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित हो चुकी है, जो आपकी पूर्ण जानकारी में है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा स्टोन क्रशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु निम्नवत् गाईडलाइन जारी की गयी है -

- Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. All opening provided for ventilation in the enclosures should be covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
- Covering of all belt conveyers.
- Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
- A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.
- Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.
- Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.

The above 'equipment specifications' should be primarily and compulsorily enforced on stone crusher. SPM standard as prescribed in Environment (Protection) Act, 1986 must be complied by every individual stone crusher.

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः एक अवसर और प्रदान करते हुये पुनः निर्देशित किया जातः है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु प्रख्यापित व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन दिनांक 28.02.2018 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए अन्यथा की स्थिति में आप द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं अनियमितता के दृष्टिगत स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया संचालन के सन्दर्भ में जनहित में तत्काल प्रभाव से बंदी आदेश पारित किये जा सकते हैं तथा गुण दोष के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताने नोटिस पारित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा सस्तुति प्रेषित की जायेगी तथा इस कार्यालय के पत्रांक 343 एच 344 दिनांक 17.06.2017 द्वारा निर्गत सहायति (जल) एवं सहायति (वायु) (Revoke) किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है आप अयोग्य ही है कि दिनांक 13.02.2018 जिलाधिकारी महोदय, महोबा द्वारा डस्ट प्रदूषण नियंत्रण हेतु आहूत की गई बैठक में संयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण के अभाव में स्टोन क्रशिंग प्रक्रियाओं को बाधित किया जाना सम्मिलित है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21 (4) के अन्तर्गत उपरोक्त के सम्बन्ध में यदि कोई कथन करना हो तो तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(निरंजन कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी

निलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-महोबा।
2. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2) उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी



ANNEXURE A-3

क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39, Avas Vikas Colony, Banda-210001

संदर्भ संख्या / 658 नोटिस / 2017

दिनांक : 23-2-2018

पंजीकृत डांक द्वारा

अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

मेसर्स प्रयाग राज ग्रेनाइट (वर्तमान नाम शारदा ग्रेनाइट),
बिलबई, कबरई,
जनपद-महोबा।

विषय : स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा संचालित स्टोन बोल्टर की कशिंग प्रक्रिया से डस्ट उत्सर्जन के कारण परिसर के सन्निकट एवं निकटवर्ती पब्लिक न्यूसेंस की समस्या विद्यमान होना पाया जाता रहा है। इसके समाधान एवं निवारण हेतु दिनांक 21.07.2017 को अमर राज समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित हो चुकी है, जो आपकी पूर्ण जानकारी में है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु निम्न गाईडलाइन जारी की गयी है:-

- Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. All opening provided for ventilation in the enclosures should be covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
- Covering of all belt conveyers.
- Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
- A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.
- Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.
- Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.

The above 'equipment specifications' should be primarily and compulsorily enforced on stone crusher. SPM standard as prescribed in Environment (Protection) Act, 1986 must be complied by every individual stone crusher.

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः एक अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डस्ट उत्सर्जन की शोकथाम हेतु प्रख्यापित व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन दिनांक 28.02.2018 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में आप द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं अनियमितता के दुरुष्ठीगत स्टोन कशिंग प्रक्रिया संचालन के संदर्भ में जनहित में तत्काल प्रभाव से बंदी आदेश पारित किये जा सकते हैं तथा गुण दोष के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत कार्रवाई बतौर नोटिस पारित किये जाने की कार्यवाही विचारित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्तुति प्रेषित की जायेगी तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक एफ 559 एवं एफ 560 दिनांक 05.07.2017 द्वारा निर्गत सहमति (जल) एवं सहमति (वायु) (Revoke) किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। आप अवगत ही है कि दिनांक 15.02.2018 जिलाधिकारी महोदय महोबा द्वारा डस्ट प्रदूषण नियंत्रण हेतु आहूत की गई बैठक में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण के अभाव में स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं को बाधित किया जाना सम्मिलित है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-महोबा।
2. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2) उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

भवदीय
(निर्णय प्रामाणिक)
क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी

क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी



संदर्भ संख्या 1689/नोटिस/2017

दिनांक : 23/08/2017

सेवा में

पंजीकृत डाक द्वारा
अति महत्वपूर्णमेसर्स रवि ग्रैनाइट
नोत्रीपुरा, पचपहरा, कवरई,
जनपद-महोबा।

विषय : स्टोन क्रशिंग प्रक्रियाओं से उत्पन्न डस्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं पब्लिक न्यूसेंस की समस्या के नियंत्रण एवं समाधान हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक 899/नोटिस/17 दिनांक 17.8.17 जिसकी छाया प्रति सुलभ संदर्भ पत्र पर अंकित है का संदर्भ ग्रहण करें आप अवगत ही है कि निर्देशों की अनुपालन आख्या अप्राप्त है। तथा निर्देशित अनुपालनात्मक कार्यवाही Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and all transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning at maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors. All opening provided for ventilation in the enclosures should be covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.

- Covering of all belt conveyers.
- Silos with telescopic discharge chate for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' or the reject. 'fine dust'.
- A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.
- Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.
- Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.

The above 'equipment specifications' should be primarily and compulsorily enforced on stone crusher. SQA standard as prescribed in Environment (Protection) Act, 1986 must be complied by every individual stone crusher.

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः एक और अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्देशित किया जाता है कि कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु प्रख्यापित व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन दिनांक 28.02.2018 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए अन्यथा की स्थिति में आप द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं अनियमितता के दृष्टिगत स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया संचालन के संदर्भ में जमहियत तत्काल प्रभाव से बंदी आदेश पारित किये जा सकते हैं तथा गुण दोष के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा का (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस पारित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्तुति प्रेषित की जायेगी तथा इस कार्यालय के पत्रांक एक 97100 एवं एक 97101 दिनांक 23.02.2017 द्वारा निर्गत सहमति (जल) एवं सहमति (वायु) (Revoke) किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। आप अवगत ही है कि दिनांक 15.02.2018 को जिलाधिकारी, महोदय, महोबा द्वारा डस्ट प्रदूषण नियंत्रण हेतु आहूत की गई बैठक में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने स्टोन क्रशिंग प्रक्रियाओं को बाधित किया जाना सम्मिलित है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21 (4) के अन्तर्गत उपरोक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी हो तो तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-महोबा।
2. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

भारत
निर्देशक (निरूपण/शमन)
क्षेत्रीय अधिकारी, बंधारा

क्षेत्रीय अधिकारी, बंधारा